

न्यायिक माजिस्ट्रेट
कोष का बरकात जिला स.म. (पंज.)

08/4/26

पिप-उपवीअभिधुक्तगण अनुवीअकीओर ले
जरिये आधी हाजिरी माफी का पापत्र पेश
किया गया, जिसे स्वीकार किया जा रहा है
शामिल पत्रा रहे। साक्ष्य अभियोजन में गफ्ट
सीताराम उप आया, जिसे के बयान pw-8
सीताराम से रपवट्ट किये गये। अन्य कोई गवाह
उप नहीं है। गवाह सोहन सिंह व नरेन्द्र कुमार के
अक्षिशुद्ध जमानती वारंट 500/ अदम फाट्ट हुये व
उक्त दोनों गवाहान के कापी लगे से लवसु किये
जा रहे हैं। परन्तु गवाह उप नहीं आ रहे हैं।

Sitaram

वाद् नं वर्ष
 पक्षकार बनाम

तारीख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश वाक्य
	<p>उत्तरण टारगेट है। उत्तर पंजी पर 1100 को दाती ही जाकर स्वास्थ्य अभियोजन हेतु अन्तिम अडल्ट दिया गया था. उसे बखजूद जवाह उपजारी भौर है। इसलिये उक्त तथ्यों को देखते हुए स्वास्थ्य अभियोजन का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली वाले अधिन मुल्य हेतु दि० 16/4/26 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">H. L. ... न्यायिक मजिस्ट्रेट चौध बन बरवाड़ा जिला स.म. राज.</p>	